प्रेस नोट दिनाँक-15.03.2023

(1). आज दिनाँक-15.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया । पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). आज दिनांक 15.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना पुलिस टीम द्वारा पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर दम्पत्ति जोड़े में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती केता पुत्री भगवत प्रजापति निवासी तरोहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट तथा आवेदिका श्रीमती पूनम देवी पत्नी विनोद सिंह पुत्री रामदयाल निवासी सपहा कर्वी जनपद चित्रकूट ने महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं एवं घर पर नही रखते है। थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता महिलाओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक समझकर द्वितीय पक्षों से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनो दम्पत्ति जोड़ों को समझाया गया । दोनो दम्पत्ति जोड़ों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति/पत्नि के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर थानाध्यक्ष महिला थाना द्वारा दोनों जोंड़ो को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर रहें।

समझौता कराने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया
2. महिला आरक्षी शिवानी सिंह
3. महिला आरक्षी मोनिका तोमर
4. आरक्षी नीतू द्विवेदी